झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2014 के वर्ग नवम् (सत्र 2012-14) के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 77/2012

एतद् द्वारा विज्ञप्ति संख्या– 67/2012 के आलोक में सत्र 2012–14 के माध्यमिक परीक्षा, 2014 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि वर्ग नवम् में पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् कार्यालय में प्राप्त करने की तिथि निम्न रूप से निर्धारित की जाती है:–

पंजीयन आवेदन-प्रपत्र जमा करने का कार्यक्रम

प्रमण्डल का नाम	भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र विद्यालय में जमा करने की तिथि		भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् में जमा करने की तिथि (संध्या 5:00 बजे तक)	
	बिना विलम्ब शुल्क के	विलम्ब शुल्क के साथ	बिना विलम्ब शुल्क के	विलम्ब शुल्क के साथ
संथाल परगना प्रमण्डल	15.09.2012 से 29.09.2012तक	17.10.2012 से 31.10.2012 तक	08.10.2012 से 15.10.2012 तक	05.11.2012 से 09.11.2012 तक
पलामू प्रमण्डल	15.09.2012 से 29.09.2012तक	17.10.2012 से 31.10.2012 तक	08.10.2012 से 15.10.2012 तक	05.11.2012 से 09.11.2012 तक
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल	15.09.2012 से 29.09.2012तक	17.10.2012 से 31.10.2012 तक	08.10.2012 से 15.10.2012 तक	05.11.2012 से 09.11.2012 तक
सिंहभूम (कोल्हान) प्रमण्डल	15.09.2012 से 29.09.2012तक	17.10.2012 से 31.10.2012 तक	08.10.2012 से 15.10.2012 तक	05.11.2012 से 09.11.2012 तक
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल	15.09.2012 से 29.09.2012तक	17.10.2012 से 31.10.2012 तक	09.10.2012 से 17.10.2012 तक	06.11.2012 से 10.11.2012 तक

✲ संथाल परगना प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा पलामू प्रमण्डल के भरे हुए पंजीयन आवेदन प्रपत्र परिषद् के प्रमण्डलीय कार्यालय, बैरिया, मेदिनीनगर में जमा होगा।

शुल्क की राशि

निम्नलिखित कोटि के विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए निम्नवत् पंजीयन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

1. राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालय। 2. सरकार द्वारा स्थापित 1981–82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय। 3. सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय। 4. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1984–85 के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय। 5. सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय। 6. कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय। 7. प्रस्वीकृति प्राप्त उच्च विद्यालय। 8. स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय।

(क) उपर्युक्त क्रमांक 1 से 8 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्राओं के लिए विहित पंजीयन शुल्क–
पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क – ₹50.00 प्रति आवेदन–प्रपत्र। **(पंजीयन शुल्क ₹75.00 देय नहीं होगा।)**

(ख) उपर्युक्त क्रमांक 1 से 8 तक के उच्च विद्यालय के नियमित छात्रों के लिए विहित पंजीयन शुल्क–
पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क – ₹50.00 प्रति आवेदन–प्रपत्र। } ₹125.00
पंजीयन शुल्क – ₹75.00 प्रति छात्र।

(ग) स्थापना अनुमति प्राप्त ऐसे उच्च विद्यालयों जिन्हें अद्यतन अनुदान नहीं मिला है, के नियमित छात्र/छात्राओं के लिए कंडिका 'क' एवं 'ख' में वर्णित शुल्क के अलावे ₹400/- अनुमति शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(घ) <u>पूर्णतः स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए</u>
पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क– ₹50.00 }
पंजीयन शुल्क – ₹400.00 } ₹850.00
अनुमति शुल्क – ₹400.00 }

(ड.) पंजीयन विलम्ब शुल्क : ₹200.00 (एक मुश्त दस दिनों तक)।

(च) क्रमांक 07 के विद्यालय प्रधानों को प्रस्वीकृति तथा क्रमांक 08 के विद्यालय प्रधानों को स्थापना अनुमति संबंधी पत्र एवं अनुदान का साक्ष्य साथ में प्रस्तुत करना होगा।

सभी विहित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड", राँची** के नाम से देय एवं भुगतेय, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड", दुमका** के नाम से देय एवं भुगतेय तथा पलामू प्रमण्डल के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड"**, डाल्टेनगंज के नाम से देय एवं भुगतेय होगा।

स्वतंत्र छात्र/छात्राओं एवं विद्यालय के प्रधानों को सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं अनुमति आवेदन–प्रपत्रों को अग्रसारित करने के लिए निम्नांकित कोटि के उच्च विद्यालयों के विद्यालय प्रधानों को अधिकृत किया जाता है:–

1. राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय।
2. सरकार द्वारा स्वीकृत 1981–82 चरण के प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय।
3. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय।
4. अनुदानित स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।

विद्यालय के प्रधानाचार्यो को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वतंत्र छात्र/छात्राओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी संख्या विद्यालयों की संरचना एवं संसाधन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है। स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु विस्तृत निदेश विज्ञप्ति संख्या 67/2012 में दी जा चुकी है।

राज्य सरकार अथवा परिषद् द्वारा स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, जिन्होंने निर्धारित अवधि तक प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं की है, के प्रधानाचार्यो को सूचित किया जाता है कि उनके विद्यालय से पंजीयन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे विद्यालय अपने छात्र–छात्राओं का पंजीयन आवेदन पत्र स्वतंत्र रूप से उपर्युक्त कोटि के विद्यालय से भर सकेंगे।

नोट :- माध्यमिक परीक्षा, 2013 के लिए आवश्यक निर्देश :-

✲ विज्ञप्ति संख्या– 67/2012 में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने जिलान्तर्गत उच्च विद्यालयों के ई–मेल आई.डी. उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। अधिकतम जिलों से यह सूची अप्राप्त है जिससे पंजीयन के कम्प्यूटरीकरण में परेशानी हो रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि विद्यालयों का ई–मेल आई.डी. विद्यालय नाम एवं कोड सहित (सी.डी. के साथ) अविलम्ब परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायें। पंजीयन के ऑन–लाईन करने में किसी भी तरह की असुविधा होती है तो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

✲ संबंधित विद्यालय प्रधान को सूचित किया जाता है कि अपने विद्यालय का ई–मेल आई.डी. अविलम्ब जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।

✲ पंजीयन के लिए आवेदित छात्र परिषद् के वेबसाईट www.jac.nic.in पर अपने पंजीयन डाटाबेस की जाँच परिषद् द्वारा निर्धारित समय–सीमा में कर सकते हैं। अगर सुधार की आवश्यकता है तो आवश्यक संशोधन विद्यालय स्तर से करा सकते हैं।

विज्ञप्ति संख्या– 67/2012 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,
ह./-
(सुशील कुमार राय)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा./7648/10/SECY/430/12 Dt. 13.09.2012
D.O.P : 14.09.2012